नम्बर व ...
अहकाम ...
हुक्म की ता...
जारी हुए

न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 13/2018

किशना पुत्र श्री हजारी जाति मेहरात निवासी ग्राम अडवाणिया तहसील मसूदा जिला अजमेर।

..........................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान् तहसीलदार महोदय–मसूदा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

......................अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार क्षेत्र मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के अनुसार खाता संख्या 699 खसरा नम्बर 3305/4 रकबा 16–03–00 किस्म बारानी 3 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमिया स्थिति चली आ रही है। वादग्रस्त भूमियों के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र हंजा कोम मेरात दर्ज किया हुआ है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम हजारी है जो प्रार्थी के बैंक पासबुक आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र में सही नाम किशना पुत्र हजारी दर्ज हो रखा है। केवल मात्र उक्त वादग्रस्त भूमियों में ही प्रार्थी का नाम किशना पुत्र हंजा दर्ज किया हुआ है जो गलत है। प्रार्थी के पिता का गलत नाम इन्द्राज होने के कारण विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र हंजा के स्थान पर किशना पुत्र हजारी कोम मेरात अंकन किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर के अप्रार्थी के जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मसूदा द्वितीय के खाता संख्या 699 के खसरा नम्बर 3305/4 रकबा 16–03–00 बारानी 3 पर किशना पुत्र हंजा दर्ज है जबकि वास्तविक नाम किशना पुत्र हजारी है जो शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी के कमोबेश कथन उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी का नाम किशना पुत्र हंजा के स्थान पर किशना पुत्र हजारी अंकित होना चाहिए। जो कि सहवन से लिपिकीय त्रुटि हुई है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय के आराजी खसरा नम्बर 3305/4 रकबा 16–03–00 में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र हंजा के स्थान पर किशना पुत्र हजारी कोम मेरात साकिन देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगें। यथानुसार राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार मसूदा पर पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested